



(131)

फूलमती पुत्री रंगीलाल सिंह गोण पत्नी स्व० बहादुर सिंह निवासी ग्राम झलरी
तहसील सरई जिला सिंगरौली मोप्र०

--आवेदिका/पुनरीक्षणकर्ता

R 5549-II/16

बिल्ड्व

1. राधिका सोनी तनय शमनरेश सोनी
2. उमाशंकर सोनी तनय सरजू प्रसाद सोनी
3. उमेश कुमार सोनी तनय सरजू प्रसाद सोनी
4. सोनकुवंरि सिंह पुत्री चेत सिंह गोइ

उपरोक्त सभी निवासी ग्राम झलरी तहसील सरई जिला सिंगरौली मोप्र०

---अनावेदकगण/गैर निगरानीकर्ता

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 मोप्र० भू

राजस्व संहिता 1959ई० बिल्ड्व आदेश अपर

कलेक्टर सिंगरौली जिला सिंगरौली जो प्रकरण

क्रमांक 1/अप्र०/2015-16 मे आदेश

दिनांक 06.12.16 को पारित।

अपील से संबंधित भूमि नम्बर 63 रकवा

5.47ए० स्थित ग्राम झलरी तहसील सरई

जिला सिंगरौली मोप्र०

मान्यवर,

आवेदिका की तरफ से पुनरीक्षण निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:-

पुनरीक्षण से संबंधित तथ्य:-

[Signature]

(3)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रक्रमांक R.5549-ट्री 116 जिला-सिंगरात्त

फूलमती रुद्धि गोठ विरुद्ध राधिका सोनी वामोः

(1)	(2)	(3)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री श्री प्रसाद रवींद्र अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर/ अपर कलेक्टर, जिला सिंगरात्त के प्रकरण क्रमांक ०।।३।।५।।६ में पारित आदेश दिनांक ८.।।२.।।६ के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक २.।।३.।।९ को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">\ सदस्य</p> 	

—N